

(20)

22

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या- ५७८० / ११(२) / १५-११(म०मं०घ००) / २०१५

प्रेषक,

अधिकारी सिंह हयोधी,
अपर अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

✓ प्रमुख अधिकारी,
लोक निर्माण विभाग,
देहादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 22 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का तिदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अधिकारी, लो०निर्मा० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 22 कार्यों के प्रारंभिक आगणनों, जिनमें कुल लागत ₹ 86.825 किमी० + 10 सेतु तथा लागत ₹ 849.87 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औद्योगिक पाई गई लागत ₹ 849.87 लाख (₹ आठ करोड़ चाल्हास लाख चाल्हासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए घालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कौलम सं०-५ पर उत्तिष्ठित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 22 कार्यों हेतु ₹ 2.20 लाख (₹ दो लाख चाल्हास हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निर्माणकार्त शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i)- उक्त स्वीकृति को आधार पर विभाग द्वारा संगरत प्रक्रियात्मक कार्यों को समर्थनद्वारा रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / ११(२) / १०-१७(संभान्न) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० वीं व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन रो अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्राप्तमा किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उत्तिष्ठित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अधिकारी द्वारा भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उत्तमा ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार यारे समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य मजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोविन्सियल फल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत संगरत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनावेश सं०- २०४७ / XIV-२१०(2006) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गतित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में व्यवस्थापक व्यय अनुदान सं०-२२-सेशनार्सक-५०५४ साइकों तथा भौतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-०१ जिला तथा अन्य राज्यों- आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-राज्यक/धर्म/रोतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -००-२४ वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधिकान्ति निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु आवश्यक की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य को सापेक्ष घालू पित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नियंत्रण में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi)- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्राहीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्राहीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति रखता नियस्त समझी जायेगी।

(xii)- प्रथम घण्टा के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयात् कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्यता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान ₹10-22-लेखार्थीक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूर्जीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों -आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य रोकट-02 नया निर्गाण कार्य-24 वृहत निर्गाण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अधारकीय संख्या-421/XXVII/(2)/2015 दिन- 14 अगस्त, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयोंकी)
अपर सचिव

संख्या:- / 111(2)/15-11(प्र०प्र०घ०) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. गहालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमार्यू मण्डल, पौड़ी / मैनीलाल।
3. राष्ट्रवित्त जिलाधिकारी।
4. साम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अधिकारी, लो.निवि., उत्तराखण्ड।
5. साम्बन्धित गुरुज्ञ / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निवेशक, क्षेत्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. साम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिकारी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड सुक।

छाना रति सत्यापित

प्राप्ति
प्राप्ति सत्यापिता
प्राप्ति वाड, लो०नि०वि०

अल्पोहा

आज्ञा से,

मूलपत्रांक:- 2261/535 याता०-कृ०/15

दिन:- 24.08.15

(ए०प्र०प्र०गंगती)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं अनुभाग उप सचिव

कार्यवाही हेतु प्रियत-

1. आदी० आनि० प्रथम / विवित हृत, लो०नि०वि०, डल्माड० / लाल०क०
2. प्राविधिक० / विवित हृत, लो०नि०वि०, डल्माड०, लाल०क०

मूलपत्रांक (प्र०प्र०गंगती)
प्राप्ति वाड, लो०नि०वि०

24.8.15

2.28

22

-3-

शासनादेश संख्या:- ५९८४ / ११(२) / १५-११(पुरोधो) / २०१६ दिनांक / ८ अगस्त २०१५ का संलग्नक

(धनराशि लाख २ भें)

क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई किमीो में	चुल रखीकृत सागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अप्रूक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-727/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरकाँग के अन्तर्गत टैटुडा में शमरांगा नदी पर 45 मी. स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य।	45 mtr.	1.80	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-727/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरकाँग के अन्तर्गत विसराखेत (गेहलधोरी) में शमरांगा नदी पर 42 मी. स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य।	42 mtr.	1.68	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 444/2015 के अन्तर्गत जनपद पीड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-लैन्सडीन के अन्तर्गत गाडियापुल-झारी-बैड-दैनपुर मोटर गार्म से तोल्डूडांडा गोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	26.48	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-619/2016 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- पुरोला के अन्तर्गत कपड़ाशी नौगांव गोड़ाखण्डी तक मोटर गार्म का आगरीकरण का कार्य।	7.60	1.60	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-924/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- पुरोला के विकास खण्ड गोरी के अन्तर्गत आसाकोट छतारी मोटर गार्म का निर्माण कार्य।	5.725	1.20	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-496/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- गंगोत्री के विकास खण्ड ढुण्डा के अन्तर्गत हुतियाणा में सोखांडा से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर गार्म का नया निर्माण कार्य।	4.00	17.92	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-488/2016 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र- यमुनोत्री के अन्तर्गत हनुमानशहरी से यमुनोत्री तक मोटर गार्म का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य।	16.00	16.00	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 772/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गूलर भगवासीरा जगमोला गोटर गार्म के भगवासीरा से धेराधार तक मोटर गार्म का निर्माण कार्य।	10.00	51.58	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-874/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरवाड़ गो (उडियार मगड़) जाँख के गंधा लाहूर नदी में 50 मी. पैदल झूला रोड़ का निर्माण कार्य।	50 mtr.	2.50	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-652/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र -फकोट के अन्तर्गत ग्राम कर्मी-बधर-झोटीलांग 10 किमी० मोटर गार्म का निर्माण कार्य।	10.00	55.00	0.10
11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-688/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र -फकोट के अन्तर्गत ग्राम बहाली के छिड़िया गंधेरे से कोटा नाधर साहू, मयूर बैड, बैल घीरदहा सिंक रोड़ का गिलान एवं निर्माण कार्य।	15.00	90.60	0.10

एकांक रचि सत्यापिता

Q. M. Khan

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राचीन वैज्ञानिक

四三

224

23

-4-

शासनादेश संख्या:- ५९९० / ११(२) / १५-११(गोमोघो) / २०१५ दिनांक १० अगस्त, २०१५ का संलग्नक

12	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५१७ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत सदृश्यम् गांग के सभीप सभाल नदी में ३० मी. स्पान स्टील गर्डर पैदल रोतु का नय निर्माण कार्य।	30 mtr.	1.98	0.10
13	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-६६८ / २०१५ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत कलाटक खाली में रेला पाली एवं सरकारी की आली का जोड़ते हुए विधास भवन तक सहज निर्माण का कार्य।	3.00	297.84	0.10
14	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८१० / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम खड़िगारी रो नैनी पैदल मार्ग में जटावाथा में २१ मी. स्पान स्टील गर्डर पैदल रोतु का नय निर्माण कार्य।	21 mtr.	1.50	0.10
15	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-८१३ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत छंगटाना गांग के निकट बौरीगाड़ में २१ मी. स्पान स्टील गर्डर पैदल रोतु का नय निर्माण कार्य।	21 mtr.	1.50	0.10
16	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५१४ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत बरगला गांग के सभीप पोखरी नदी में पैदल पुल का निर्माण	24 mtr.	1.04	0.10
17	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५१५ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम गोप्यद्वाढ़ी ये पोखरी पंगराड़ी के ग्राम नदी में पुल का निर्माण।	21 mtr.	0.92	0.10
18	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५१६ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- जागेश्वर के अन्तर्गत कमलेश्वर नदी में ग्राम शैंज के पास झुला पुल का निर्माण।	70 mtr.	2.88	0.10
19	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५१८ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- जागेश्वर के अन्तर्गत पनार नदी पर टंकेश्वर मंदिर के सभीप झुला पुल के निर्माण का कार्य।	60 mtr.	2.48	0.10
20	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-६१ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- अल्मोड़ा के अन्तर्गत सोअर माले रोड जल निगम कौशीनी सरकारी की आली शिव मंदिर के पास से रेलापाली तांक छीपवल मार्ग के नय निर्माण का कार्य।	1.00	37.40	0.10
21	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-९१७ / २०१५ के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकास खण्ड दुपड़ा के अन्तर्गत दुपड़ा कुराह गोटर मार्ग से जस्तारी गांग होते हुए घस्त्व गांग तक गोटर मार्ग का नय निर्माण कार्य।	7.00	31.36	0.10
22	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-५६७ / २०१५ के अन्तर्गत जनपद पीड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-कोटद्वार के अन्तर्गत कौशिया से खोह नदी के किनारे गाड़ीधाट एवं ग्रामटनगंज तक बाईपारा सड़क का निर्माण कार्य।	3.50	204.61	0.10
	गोप-	86.825 + 10 Brg	849.87	2.20

(कूल र दो लाख बीस हजार मात्र)

प्राचीन एवं सत्यापित

Agustín

प्रान्तीय रूप विनोदिता
अस्मिन् द्वारा